फा. सं. 2/10/2021-पब्लिक
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
पब्लिक अनुभाग

कर्तव्य भवन-3, नई दिल्ली
दिनांक: 8 अक्टूबर, 2026

कार्यालय ज्ञापन

विषय: संयुक्त राष्ट्र दिवस पर संयुक्त राष्ट्र संघ के झंडे के प्रदर्शन के सम्बन्ध में।

प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन, संयुक्त राष्ट्र का झंडा उन सभी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज के साथ फहराया जाता है, जिन पर राष्ट्रीय ध्वज नियमित रूप से फहराया जाता है। तथापि, संयुक्त राष्ट्र संघ का झंडा राष्ट्रपति भवन, उप राष्ट्रपति भवन, संसद भवन और उच्चतम न्यायालय के भवन पर **नहीं** फहराया जाता है।

2. भारतीय झंडा संहिता, 2002 के पैरा 3.36 के अनुसार, "जब संयुक्त राष्ट्र संघ का झंडा, राष्ट्रीय झंडे के साथ फहराया जाता है तो वह राष्ट्रीय झंडे के किसी भी ओर लगाया जा सकता है। सामान्यत:, राष्ट्रीय झंडे को इस प्रकार फहराया जाता है कि वह अपने सामने वाली दिशा के हिसाब से अपने एकदम दाईं ओर होता है, (अर्थात झंडा फहराने के समय झंडे की ओर मुख किये हुए व्यक्ति के एकदम बाईं ओर)"।

3. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से अनुरोध है कि दिल्ली/नई दिल्ली में उसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले भवनों के संबंध में इस मामले पर समुचित अनुदेश जारी किये जाएं।

कमलेश रबिदास
(कमलेश रबिदास)
भारत सरकार के अवर सचिव
☎: 011-24010294

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
2. प्रधानमंत्री कार्यालय/राष्ट्रपति सचिवालय/ उप-राष्ट्रपति सचिवालय/मंत्रिमंडल सचिवालय/नीति आयोग/महालेखा नियंत्रक/लोक सभा सचिवालय/ राज्य सभा सचिवालय/ भारत का उच्चतम न्यायालय/संघ लोक सेवा आयोग/ केंद्रीय सतर्कता आयोग/ मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, नई दिल्ली/यू.जी.सी/ दिल्ली उच्च न्यायालय/ भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय/ केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण ।
3. विदेश मंत्रालय (संयुक्त सचिव (समन्वय), नई दिल्ली। कृपया इसे भारत के सभी राजदूतावासों/हाई कमिशनों के संज्ञान में लाया जाए।
4. विदेश मंत्रालय (यूएनआई अनुभाग), नई दिल्ली ।
5. महानिदेशक (एमएंडसी), गृह मंत्रालय सूचनार्थ एवं समुचित कार्रवाई हेतु ।
6. मुख्य अभियंता, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, नई दिल्ली।

फा. सं. 2/10/2021-पब्लिक
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
पब्लिक अनुभाग

कर्तव्य भवन-3, नई दिल्ली
दिनांक: 8अक्टूबर, 2026

सेवा में,

सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के
मुख्य सचिव/प्रशासक

विषय: संयुक्त राष्ट्र दिवस पर संयुक्त राष्ट्र संघ के झंडे के प्रदर्शन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन, संयुक्त राष्ट्र का झंडा उन सभी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज के साथ फहराया जाता है, जिन पर राष्ट्रीय ध्वज नियमित रूप से फहराया जाता है। तथापि, संयुक्त राष्ट्र संघ का झंडा राजभवन/राजनिवास तथा विधान परिषदों, विधान सभाओं तथा उच्च न्यायालयों के भवनों पर **नहीं** फहराया जाता है।

2. भारतीय झंडा संहिता, 2002 के पैरा 3.36 के अनुसार, "जब संयुक्त राष्ट्र संघ का झंडा, राष्ट्रीय झंडे के साथ फहराया जाता है तो वह राष्ट्रीय झंडे के किसी भी ओर लगाया जा सकता है। सामान्यतः, राष्ट्रीय झंडे को इस प्रकार फहराया जाता है कि वह अपने सामने वाली दिशा के हिसाब से अपने एकदम दाईं ओर होता है, (अर्थात झंडा फहराने के समय झंडे की ओर मुख किये हुए व्यक्ति के एकदम बाईं ओर)"।

3. सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से अनुरोध है कि तदनुसार इस मामले में आवश्यक अनुदेश जारी किये जाएं।

भवदीय

(कमलेश रबिदास)
भारत सरकार के अवर सचिव
☎: 011 24010294

F. No. 2/10/2021-Public
Government of India / भारत सरकार
Ministry of Home Affairs / गृह मंत्रालय
Public Section/पब्लिक अनुभाग

Kartavya Bhawan-3, New Delhi.
Dated 8th October, 2026

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Display of the United Nations Flag on the United Nations Day – reg.

Every year 24th October is observed as the United Nations Day. On this day, the United Nations Flag is flown along with the National Flag on all buildings on which the Indian National Flag is regularly flown. The United Nations Flag is, however, **not** flown on Rashtrapati Bhawan, Vice-President's House, Parliament House and Supreme Court building.

2. In terms of para 3.36 of the Flag Code of India, 2002, *"When the United Nation's Flag is flown along with the National Flag, it can be displayed on either side of the National Flag. The general practice is to fly the National Flag on the extreme right with reference to the direction which it is facing (i.e. extreme left of an observer facing the masts flying the Flags)."*

3. The Ministry of Housing and Urban Affairs is requested to issue suitable instructions in the matter in so far as the buildings under their charge in Delhi / New Delhi are concerned.

Kamlesh Rabidas
(Kamlesh Rabidas)
Under Secretary to the Govt. of India
Phone No.: 011- 24010294

Copy to : -

1. All Ministries / Departments of the Government of India.
2. Prime Minister's Office / President's Secretariat / Vice-President's Secretariat / Cabinet Secretariat / NITI Aayog / Controller General of Accounts / Lok Sabha Secretariat / Rajya Sabha Secretariat / Supreme Court of India / Union Public Service Commission / Central Vigilance Commission / Chief Secretary National Capital Territory of Delhi / UGC / Delhi High Court / Office of the Comptroller & Auditor General of India / CAT.
3. Ministry of External Affairs {J.S. (Coord.)}, New Delhi. It may be brought to the notice of all Embassies / High Commissions of India.
4. Ministry of External Affairs (UNI Section), New Delhi.
5. DG (M & C), MHA for information and necessary action.
6. Chief Engineer, Central Public Works Department (New Delhi), New Delhi.

File No. 2/10/2021-Public
Government of India/भारत सरकार
Ministry of Home Affairs/गृह मंत्रालय
Public Section/पब्लिक अनुभाग

Kartavya Bhawan-3, New Delhi.
Dated 8th October, 2026

To

The Chief Secretaries/Administrators of
All State Governments/UT Administrations.

Subject: Display of the United Nations Flag on the United Nations Day – reg.

Sir/Madam,

Every year 24th October is observed as the United Nations Day. On this day, the United Nations Flag is flown along with the National Flag on all buildings on which the Indian National Flag is regularly flown. The United Nations Flag is, however, **not** flown on Raj Bhawans/Raj Niwases and buildings housing Legislative Councils, Legislative Assemblies and High Courts.

2. In terms of para 3.36 of the Flag Code of India, 2002, *"When the United Nation's Flag is flown along with the National Flag, it can be displayed on either side of the National Flag. The general practice is to fly the National Flag on the extreme right with reference to the direction which it is facing (i.e. extreme left of an observer facing the masts flying the Flags)."*

3. The State Governments/Union Territory Administrations are requested to issue necessary instructions in the matter accordingly.

Yours faithfully,

Kamlesh Rabidas

(Kamlesh Rabidas)
Under Secretary to the Govt. of India
Phone No.: 011- 24010294